

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02012021-224136
SG-DL-E-02012021-224136

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 249
No. 292]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSAH 10, 1942	[N. C. T. D. No. 249

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
(स्थानीय निकाय निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सं. 22 / 13 / 2000 / श.वि./पार्ट फाइल/805-817.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 14 मई 2019 की अधिसूचना सं. फा. 22 / 13 / 2000 / श.वि./पा.फाई./3751-63 के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 या धारा 347ख के अन्तर्गत अधिमान्य अपीलों को निर्णित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 347क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी के रूप में सुश्री पूनम चौधरी, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की अवधि को दिनांक 14 मई, 2020 पूर्वव्यापी प्रभाव से 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रतिनियुक्त आधार पर बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अनिल कुमार, उप—निदेशक (स्थानीय निकाय -1)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**(Directorate of Local Bodies)****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th December, 2020

No. 22/13/2000/UD/PF/805-817.—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), and in continuation of notification No. F. 22/ 13/2000/ UD/PF/3751-63 dated 14th May 2019, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to extend with retrospective effect i.e. w.e.f. 14th May 2020, the term of appointment of Ms. Poonam Chaudhary, an officer of the Delhi Higher Judicial Services, on deputation basis till 31st December 2020, as Presiding Officer of Appellate Tribunal, constituted by the Government under sub-section (1) of section 347A of the said Act, for deciding appeals preferred under section 343 or section 347B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ANIL KUMAR, Dy. Director (Local Bodies-1)